दरगाह अब्दुल्ला बनाम लेखपद मो अली मु.नं. 25/18

दिनांक	आज्ञा पत्र
22-4-25	पत्रावली प्रस्तुत वकील [illegible] स्थित पीठासीन अधिकारी महोदय 50.3.25 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 23.4.25 को पेश हेतु
23.4.25	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक [illegible] ने [illegible] पत्रावली प्रस्तुत [illegible] कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 5.5.25 को पेश हेतु
5.5.25	पत्रावली पेश। वक्त अन्यत्र व्यस्तता पीठासीन अधिकारी पत्रा. वास्ते आदेश दिनांक 9.5.25 को पेश हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
9.5.25	पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण आदेश नहीं लिखवाया जा सका। अतः पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 15.5.25 को पेश हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
15.5.25	पत्रावली पेश। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 16.5.25 को पेश हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
~~16.~~ 16.5.25	पत्रावली पेश। अपील का [illegible] रिकॉर्ड की जांच की। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर [illegible] पत्रावली [illegible] निर्णय कर [illegible] किया गया। पत्रावली [illegible] होकर [illegible] बाद तामील [illegible] दाखिल दफ्तर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 25/2018

1 दरगाह अब्दुल्लाह मियां साहब वाके ग्राम दायरा तहसील श्रीमाधोपुर जरिये पूर्व अधिकृत व्यक्ति श्री अनवर खान पुत्र श्री जलाल खान कौम मुसलमान पठान निवासी ग्राम दायरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर एवं वर्तमान अधिकृत व्यक्ति हसन मोहम्मद खान पुत्र श्री होसदार खान निवासी ग्राम दायरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
2 राजस्थान बार्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी एल.के. 01ज्योति नगर जयपुर।

अपीलांटस

बनाम

1 सैयद मोहम्मद यूसूफ अली (मृतक नाम हजफ)
1/1 अमीर अली पुत्र मरहूम सैयद मोहम्मद यूसुफ अली आयु व्यस्क निवासी भवन संख्या 4300 दूध डेयरी के पीछे छेदा लाल की गली चौकड़ी रामचन्द्रजी घोड़ा निकास रोड़ रामगंज जयपुर।
2 अब्दुल समद खान पुत्र करामत खान मृतक
2/1 हमीदा खातून मरहूम अब्दुल समद खान
2/2 अब्दुल हफीज
2/3 अब्दुल रफीक खां
2/4 एजाज खां
2/5 सुजावल खां पुत्रान मरहूम अब्दुल समद खान
2/6 सैमू खातून
2/7 नियामत खातून
2/8 फरीदा खातून
2/9 मकबूल खातून
2/10 भूरी खातून
2/11 बीबी खातून पुत्रिया मरहूम अब्दुल समद खान समस्त जाति मुसलमान पठान निवासीगण ग्राम दायरा पूर्व तहसील श्रीमाधोपुर नव सृजित तहसील खण्डेला जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

3 रमजान
4 नसरूद्दीन
5 इस्लामुद्दीन
6 नूरूद्दीन पुत्रगण श्री कमरूद्दीन
2/9 सलमा पत्नी श्री शब्बीर समस्त जाति मुसलमान व्यापारी निवासीगण ग्राम दायरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम राजस्व अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 24.03.2006 द्वारा सहायक कलेक्टर खण्डेला बसिलसिले राजस्व वाद संख्या 422/1988 बीटी 566/97, 216/01, 58/2006 उनवानी दरगाह अब्दुल्लाह मियां बनाम सैयद मोहम्मद युसूफ।

उपस्थिति :
1. श्री रमाप्रकाश गुप्ता, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री नसीर अहमद खान, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 16/5/25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 58/2006 में पारित निर्णय दिनांक 24.03.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने भूमि खसरा नम्बर 407, 409, 410, 411, 412 के संदर्भ में उद्घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष यह तथ्य रिकार्ड पर पूर्णतया पुष्ट एवं प्रमाणित था कि विवादग्रस्त जायदाद का स्वरूप व स्थिति एक वक्फ जायदाद की है। जिसके राजस्व रिकार्ड में सहवन से सज्जादानशीन जलालुदीन व उसकी मौत के बाद वक्फ विभाग द्वारा मुकर्रर किए गए सज्जादानशीन सैयद मोहम्मद यूसुफ अली का नाम दर्ज हो गया था। दरगाह अब्दुला मियां अपीलान्ट के सज्जादानशीन सैयद मोहम्मद युसुफ अली द्वारा राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करवाए जाने का आवेदन एस.डी.ओ. महोदय नीमकाथाना के समक्ष पेश किया। जिसकी जांच कार्यवाही मे ए. एसओ रींगस के समक्ष मिसल संख्या 32/1984 में भाग लेकर स्वयं व गवाहान के बयान दर्ज करवाए। प्रतिवादी संख्या 1 सैयद मोहम्मद यूसुफ अली जो कि दरगाह के अधीन की जायदादों को फरोख्त करने का कानूनन कोई इख्तियार हासिल नहीं था के द्वारा साजिशी रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 6 के पक्ष में विक्रय पत्र के निष्पादित करवाए विक्रय पत्रों से अपीलान्ट/वादी कानूनन पाबन्द व प्रतिबंधित नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 को तय करने में सख्त कानूनी भुल हुई है। विचारण न्यायालय के समक्ष रिकार्ड पर यह तथ्य प्रमाणित एवं पुष्ट था। कि खसरा नम्बरान 407, 409, 410 व 412 की भूमि दरगाह अब्दुला मियां के अधीन की वक्फ जायदादें है। इन भूमियों व दीगर कृषि भूमियों के राजस्व रिकार्ड में सहवन से दरगाह के स्थान पर पहले सज्जादानशीन जलालुदीन का नाम व बाद में राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ जयपुर द्वारा अपने कार्यालय आदेश दिनांकित 03.11.65 के जरिये नियुक्त सज्जादानशीन सैयद मोहम्मद युसुफ अली प्रतिवादी संख्या 1 का नाम अंकित हो गया था। इस गलत ददर्ज हुए नाम को दुरूस्त कर इसके स्थान पर दरगाह अब्दुला मियां का नाम अंकित करने की प्रार्थना स्वयं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा की गई थी। प्रतिवादी संख्या 1 सैयद मोहम्मद युसुफ अली द्वारा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

मुतनाजा जायदादों को वक्फ होना स्वीकार करने व इन जायदादों की देखरेख का जिम्मा बहैसियत सज्जादानशीन होने का तथ्य रिकार्ड पर स्वीकृत व प्रमाणित होने के बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा मात्र क्यासात के आधार पर निर्णय पारित करने में सख्त कानूनी व वाक्यती भुल की है। जिसके कारण चुनौतीग्रस्त निर्णय को निरस्त व अपास्त किया जाना निहायत जरूरी है। विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 2 को फैसल करने में भी सख्त भूल हूई है। विचारण न्यायालय के समक्ष रिकार्ड पर यह प्रमाणित था कि ए एस ओ रींगस को वास्ते जांच एस डी ओ नीमकाथाना द्वारा निर्देश जारी किए गए थे इन निर्देशों को प्रतिवादीगण अथवा अन्यों द्वारा आज तक कही भी चुनौती नहीं दी गई। इन निर्देशों की पालना में स्वयं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा शिकायत के समर्थन अपने बयान दिए गए व गवाहान के बयान दिलवाकर जांच पूर्ण करवायी गई। प्रतिवादी संख्या 1 सैयद मोहम्मद युसुफ अली द्वारा इस स्थिति को जानते हुए फर्जकारी के जरिये झुंठे व गलत चुनौतीग्रस्त विक्रय पत्र निष्पादित किए गए है। दीगर प्रतिवादीगण भी इन वक्फ कमेटी के समय समय पर सदस्य भी रहे है। जिन्हें मुतनाजा विक्रय पत्रों के जरिये बेचान की गई जायदादों के अपीलान्ट के अधीन की वक्फ जायदाद होने का पुरा ज्ञान जानकारी व ईल्म था। विचारण न्यायालय द्वारा वक्फ जायदादों के संबंध में प्रभावी कानूनी प्रावधानों व स्थिति को अनदेखा करते हुए तनकी संख्या 1 व 2 के आधार पर तनकी संख्या 3 को भी अपीलान्ट/वादी के खिलाफ तय करने में गंभीर त्रुटि कारित की है। वक्फ जायदादों के फरोख्त किए जाने व इन जायदादों को अन्य व्यक्ति विशेष के नाम से तब्दील व हस्तान्तरित किए जाने का वक्फ कानून में कोई प्रावधान नहीं है। वक्फ सम्पति हमेशा वक्फ की रहती है। अपीलान्ट के अधीन की वक्फ जायदादों की कृषि भूमि 137 बीघा 7 बिश्वा को ग्राम पंचायत जरिये तत्कालीन सरपंच श्री सेडूराम दिनांक 20.08.1976 के आदेश के तहत लावारिश घोषित करने की कार्यवाही की गई। इस आदेश के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

सैयद युसुफ अली द्वारा उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के समक्ष अपील संख्या 43/1976 दायर की गई। न्यायालय एसडीओ नीमकाथाना द्वारा दिनांक 15.03.1979 को पारित आदेश के जरिये ग्राम पंचायत दायरा द्वारा दिनांक 20.08.1976 को लिए गए निर्णय को निरस्त फरमाया गया। विचारण न्यायालय के समक्ष रिकार्ड पर यह कानूनी स्थिति व निर्णय होने के बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा चुनौतीग्रस्त निर्णय पारित करने में सख्त भुल कारित हुई है। ए.एस.ओ रींगस द्वारा सन 1984 में पारित अपने आदेश के जरिए वक्फ जायदादों के राजस्व रिकार्ड में सैयद जजालुदीन के स्थान पर अपीलान्ट दरगाह अब्दुला मियां का नाम दर्ज करना का आदेश पारित किया था। इस आदेश के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट का नाम दर्ज होना था। सैयद युसुफ अली का नाम वक्फ जायदादों में दर्ज किये जाने का कोई आदेश वक्फ विभाग अथवा राजस्व न्यायालयों द्वारा कभी भी जारी व पारित नहीं किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 सैयद युसुफ अली का देहान्त हो चुका है। जिसे वक्फ विभाग द्वारा अपने आदेश के तहत अपीलान्ट दरगाह का सज्जानशीन नियुक्त किया गया था। विवादग्रस्त जायदाद मूतक से यह युसुफ अली की निजीमिल कियत नहीं थी बल्कि अपीलान्ट के अधीन की वक्फ जायदाद है। वक्फ विभाग की ओर से अपीलान्ट को यह अपील पेश करने के लिए अधिकृत किया गया है। आदेश अपील के साथ संलग्न है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज थी। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पंजीकृत विकय पत्र से प्रतिवादी संख्या 2 से 6 को भूमि बेचान की गई है। विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त नहीं है। विवादित भूमि के संदर्भ में वादी अपीलांट विवादित भूमि पर अपना स्वत्व साबित करने में सफल नहीं रहा है। विवादित भूमि में से खसरा नम्बर 407, 409 की किस्म आबादी भूमि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

में परिवर्तित हो चुकी है। अतः इनके संदर्भ में सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। वादी द्वारा विचाराधीन वाद में विक्रय पत्र दिनांक 16.02.1985 व 16.04.87 को निरस्त करवाने का अनुतोष भी चाहा गया है। विक्रय पत्र के संदर्भ में सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सक्षम सिविल न्यायालय को है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय में पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर तनकीवार निर्णय करते हुए विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि के संदर्भ में दरगाह अब्दुला मियां अपीलान्ट के सज्जादानशीन सैयद मोहम्मद युसुफ अली द्वारा राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करवाए जाने का आवेदन एस.डी.ओ. महोदय नीमकाथाना के समक्ष पेश किया। जिसकी जांच कार्यवाही मे ए.एसओ रींगस के समक्ष मिसल संख्या 32/1984 में भाग लेकर स्वयं व गवाहान के बयान दर्ज करवाए। प्रतिवादी संख्या 1 सैयद मोहम्मद यूसुफ अली जो कि दरगाह के अधीन की जायदादों को फरोख्त करने का कानूनन कोई इख्तियार हासिल नहीं था, के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 6 के पक्ष में निष्पादित करवाए विक्रय पत्रों के संदर्भ में विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय में कोई परीक्षण विवेचन एवं विश्लेषण नहीं किया है।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष रिकार्ड पर यह तथ्य था कि खसरा नम्बरान 407, 409, 410 व 412 की भूमि दरगाह अब्दुला मियां के अधीन की वक्फ जायदादें है। इन भूमियों व दीगर कृषि भूमियों के राजस्व रिकार्ड में सहवन से दरगाह के स्थान पर पहले सज्जादानशीन जलालुदीन का नाम व बाद में राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ जयपुर द्वारा अपने कार्यालय आदेश दिनांकित 03.11.65 के जरिये नियुक्त सज्जादानशीन सैयद मोहम्मद युसुफ अली प्रतिवादी संख्या 1 का नाम अंकित हो गया था। इस गलत दर्ज हुए नाम को दुरूस्त कर इसके स्थान

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पर दरगाह अब्दुला मियां का नाम अंकित करने की प्रार्थना स्वयं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा की गई थी। प्रतिवादी संख्या 1 सैयद मोहम्मद युसुफ अली द्वारा मुतनाजा जायदादों को वक्फ होना स्वीकार करने व इन जायदादों की देखरेख का जिम्मा बहैसियत सज्जादानशीन होने का तथ्य रिकार्ड पर स्वीकृत व प्रमाणित होने के बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा इस संदर्भ में विचाराधीन निर्णय में कोई विधिक परीक्षण विवेचन एवं विश्लेषण नहीं किया गया है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय के समक्ष रिकार्ड पर यह प्रमाणित था कि ए एस ओ रींगस को वास्ते जांच एस डी ओ नीमकाथाना द्वारा निर्देश जारी किए गए थे इन निर्देशों को प्रतिवादीगण अथवा अन्यों द्वारा आज तक कही भी चुनौती नहीं दी गई। इन निर्देशों की पालना में स्वयं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा शिकायत के समर्थन अपने बयान दिए गए व गवाहान के बयान दिलवाकर जांच पूर्ण करवायी गई। दीगर प्रतिवादीगण भी इन वक्फ कमेटी के समय समय पर सदस्य भी रहे है। जिन्हें मुतनाजा विक्रय पत्रों के जरिये बेचान की गई जायदादों के अपीलान्ट के अधीन की वक्फ जायदाद होने का पुरा ज्ञान जानकारी व ईल्म था। विचारण न्यायालय द्वारा वक्फ जायदादों के संबंध में प्रभावी कानूनी प्रावधानों व स्थिति को अनदेखा करते हुए तनकी संख्या 1 व 2 के आधार पर तनकी संख्या 3 को भी अपीलान्ट/वादी के खिलाफ तय करने में विधिक त्रुटि की है। वक्फ जायदादों के फरोख्त किए जाने व इन जायदादों को अन्य व्यक्ति विशेष के नाम से तब्दील व हस्तान्तरित किए जाने का वक्फ कानून में कोई प्रावधान नहीं है। वक्फ सम्पत्ति हमेशा वक्फ की रहती है। अपीलान्ट के अधीन की वक्फ जायदादों की कृषि भूमि 137 बीघा 7 बिश्वा को ग्राम पंचायत जरिये तत्कालीन सरपंच श्री सेडूराम दिनांक 20.08.1976 के आदेश के तहत लावारिश घोषित करने की कार्यवाही की गई। इस आदेश के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 सैयद युसुफ अली द्वारा उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के समक्ष अपील संख्या 43/1976 दायर की गई। न्यायालय एसडीओ नीमकाथाना द्वारा दिनांक 15.03.1979 को पारित आदेश के जरिये ग्राम पंचायत दायरा द्वारा दिनांक 20.08.1976 को लिए गए निर्णय को निरस्त फरमाया गया। ए.एस.ओ रींगस द्वारा सन 1984 में पारित अपने आदेश के जरिए वक्फ जायदादों के राजस्व रिकार्ड

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

में सैयद जजालुदीन के स्थान पर अपीलान्ट दरगाह अब्दुला मिया का नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया था। इस आदेश के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट का नाम दर्ज होना था। सैयद युसुफ अली का नाम वक्फ जायदादों में दर्ज किये जाने का कोई आदेश वक्फ विभाग अथवा राजस्व न्यायालयों द्वारा कभी भी जारी व पारित नहीं किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 सैयद युसुफ अली का देहान्त हो चुका है। जिसे वक्फ विभाग द्वारा अपने आदेश के तहत अपीलान्ट दरगाह का सज्जानशीन नियुक्त किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली में प्रस्तुत निर्णय, वक्फ की स्थिति एवं गुणावगुण पर तनकीवार विस्तृत विवेचन किए बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में प्रस्तुत निम्नलिखित दस्तावेजो से प्रथम दृष्टया विवादित भूमि दरगाह की होना, सज्जादनशीन अपीलांट होना प्रथम दृष्टया प्रकट होता है।

1 पर्चा खतौनी 1983 में दरगाह की अन्य भूमियों के साथ खसरा नम्बर 410, 411, 412, 407, 409 दर्ज है।

2 विचारण न्यायालय में संलग्न मौखिक बयानों में सैयद मोहम्मद युसुफ ने स्वयं ने दरगाह का सज्जादनशीन होना एवं दरगाह की भूमि का रकबा 137 बीघा 7 बिश्वा होना स्वीकार किया है।

3 माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 11.07.2008 में विवादित भूमि दरगाह (वक्फ) की होना विवेचित किया है।

4 विचारण न्यायालय में प्रदर्शित पत्र वक्फ बोर्ड प्रदर्श–20 दिनांक 03.11.1965 से सैयद मोहम्मद युसुफ को सज्जादनशीन नियुक्त किया गया है।

5 उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के निर्णय दिनांक 15.03.1979 प्रदर्श–21 में सैयद मोहम्मद युसुफ ने स्वयं को सज्जादनशिन होना स्वीकार किया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

6 प्रदर्श 4 आवेदन द्वारा सैयद मोहम्मद युसुफ ने स्वयं को पूर्व सज्जादनशीन जलालुदीन का उत्तराधिकारी जरिये वक्फ बोर्ड के पत्र दिनांक 03.11.1965 से होना स्वीकार किया है।

7 प्रदर्श–3 एएसओ के आदेश दिनांक 18.05.1987 में लिये गये बयानों में स्वयं मोहम्मद युसुफ ने दरगाह की जमीन 137 बीघा 7 बिश्वा होना स्वीकार किया है।

8 प्रदर्श–2 नामान्तकरण संख्या 224 के द्वारा सज्जादनशीन जलालुद्दीन के स्थान पर सैयद मोहम्मद युसुफ का नाम वक्फ बोर्ड के पत्र के आधार पर भरा गया है।

विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय में उक्त बिन्दु संख्या 1 से 8 के दस्तावेजों का परीक्षण, विवेचन एवं विश्लेषण किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण में उपरोक्त विवेचित विधिक बिन्दूओं एवं गुणावगुण पर तनकीवार विस्तृत विवेचन कर, साक्ष्य का परीक्षण एवं विश्लेषण कर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.06.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 16/5/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर सत्यमेव जयते